संचिका संख्या–म0 / स्था0अरा0(अ0)–13 / 2023.....2464.......दि0 · 09-06-2025

मत्स्य निदेशालय

नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार।

कार्यालय आदेश

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य निदेशालय) के अधिसूचना संख्या 36 दिनांक 16.01.2024 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या 19300 दिनांक 13.10.2023 के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 09.06.2025 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आलोक में पूर्णतः अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग के निम्नांकित प्रधान लिपिकों को सहायक प्रशासी पदाधिकारी के पद पर उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर–7) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मी का नाम एवं वर्त्तमान पदस्थापन	वर्त्तमान पद
1	*2*	*3*
1.	श्री विनय कुमार वर्मा, जिला मत्स्य कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)	प्रधान लिपिक
2.	श्री शिवमंगल मांझी, जिला मत्स्य कार्यालय, नालंदा	प्रधान लिपिक
3.	श्री चन्द्रशेखर कुमार, मत्स्य अनुसंधान केन्द्र, मीठापुर, पटना	प्रधान लिपिक

2. संबंधित कर्मचारी पदस्थापन होने तक वर्त्तमान धारित पदस्थापन पर ही उत्क्रमित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे।

3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गयी अंतर राशि की भी वसूली कर ली जायेगी। कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुए दिया गया है।

4. कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या–4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

5. उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गई है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्त्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।

6. उपर्युक्त कर्मचारियों द्वारा वर्त्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक सहायक प्रशासी पदाधिकारी (विहित वेतनमान वेतन स्तर–7) में उत्क्रमित किया जाता है।

7. उपर्युक्त कर्मचारियों का पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक प्रशासी पदाधिकारी के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

8. संबंधित कर्मियों के वेतन निर्धारण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 12598 दिनांक 08.08.2024 में निहित प्रावधान लागू होगे।

09/06/25

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांकः म0 / स्था0अरा0(अ0)–13 / 2023..2464......मत्स्य / पटना, दिनांक..09-06-2025

प्रतिलिपिः–जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली / नालंदा एवं कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/06/25

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांकः म0 / स्था0अरा0(अ0)–13 / 2023..2464.....मत्स्य / पटना, दिनांक..09-06-2025

प्रतिलिपिः– संयुक्त मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), मीठापुर, पटना / जिला मत्स्य पदाधिकारी, वैशाली / नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/06/25

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांकः म0 / स्था0अरा0(अ0)–13 / 2023..2464....मत्स्य / पटना, दिनांक..09-06-2025

प्रतिलिपिः–उप मत्स्य निदेशक, तिरहुत परिक्षेत्र, मुजफ्फरपुर / उप मत्स्य निदेशक, पटना परिक्षेत्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/06/25

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांकः म0 / स्था0अरा0(अ0)–13 / 2023..2464....मत्स्य / पटना, दिनांक..09-06-2025

प्रतिलिपिः–विभागीय आई० टी० प्रबंधक / सभी संबंधित कर्मचारी / स्थापना सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/06/25

निदेशक मत्स्य